


कार्यालय सम्पत्ति अधिकारी
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

पत्रांक:सीएसयू-727/सम्पत्ति/2017

दिनांक: मार्च 24, 2022

नीलामी सूचना


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फसल शोध प्रक्षेत्र फर्रुखाबाद प्रक्षेत्र, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत 12 सूखे गिरे पेड़ों की विक्री (नीलामी) मुहरबन्द निविदा प्रक्रिया द्वारा जहाँ है जैसे के आधार पर दिनांक 06.04.2022 को 12.30 बजे अपरान्ह गठित समिति के समक्ष टेण्डर डाले जायेंगे तथा उसी तिथि को अपरान्ह 1.00 बजे टेण्डर खोले जायेंगे। नीलामी की प्रक्रिया फसल शोध प्रक्षेत्र फर्रुखाबाद में सम्पन्न करायी जायेगी।


(मानेन्द्र सिंह)

सम्पत्ति अधिकारी/संयोजक

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।


- 1- गठित समिति के अध्यक्ष/सदस्यगणों को सूचनार्थ।
- 2- लकड़ी क्रेताओं को सूचनार्थ।
- 3- प्रभारी एरिस सैल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर डाउन लोड करने का कष्ट करें।
- 4- जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।
- 5- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन विभाग, फर्रुखाबाद।
- 6- कुलपति के तकनीकी सचिव को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।


(मानेन्द्र सिंह)

सम्पत्ति अधिकारी/संयोजक

नीलामी की शर्तें

- 1- उच्चतम निविदादाता को सम्पूर्ण धनराशि नीलामी के उपरान्त जमा करनी होगी।
- 2- क्रेता को लकड़ी काटकर एक सप्ताह में उठाना होगा।
- 3- लकड़ी काटते समय किसी प्रकार की क्षति/दुर्घटना होती है तो समस्त उत्तरदायित्व क्रेता का स्वयं का होगा।
- 4- क्रेताओं को पेड़ों/लकड़ी का निरीक्षण दिनांक 4.4.2022 को अपरान्ह 5.00 बजे तक प्रक्षेत्र अधीक्षक फर्रुखाबाद द्वारा कराया जायेगा तथा टेण्डर फार्म 1000/- में प्रक्षेत्र अधीक्षक के कार्यालय से दिनांक 5.4.2022 को 11.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। तथा दिनांक 6.4.2022 को 11.00 बजे तक धरोधर राशि रू0-10,000.00 नकद प्रक्षेत्र अधीक्षक कार्यालय में जमा करनी होगी।
- 5- क्रेता को 9% वार्षिक्यकर जमा कर रसीद की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करनी होगी।
- 6- क्रेता निविदा प्रपत्र सभी कार्य दिवसों में प्रक्षेत्र अधीक्षक के कार्यालय से रू0 1000/- में दिनांक 06.04.2022 को पूर्वान्ह 10.30 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं।
- 7- नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार पूर्णतः गठित समिति को होगा।


(मानेन्द्र सिंह)

सम्पत्ति अधिकारी/संयोजक